संख्या-10/2023/I/269065/2023/71-2099/471/2019

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
के0जी0एम0यू0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2023

विषय- के0जी0एम0यू0, लखनऊ के कालेज ऑफ नर्सिंग हेतु सृजित क्लीनिकल इन्स्ट्रक्टर के पदनाम को एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के नर्सिंग संवर्ग के पदनाम समान परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10804/B-19, दिनांक 25.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ के कालेज ऑफ नर्सिंग हेतु सृजित क्लीनिकल इन्स्ट्रक्टर के पदनाम को संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नर्सिंग संवर्ग के पदनाम के समान परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम्0यू0, लखनऊ के कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग हेतु सृजित 'क्लीनिकल इन्सट्रक्टर' पदनाम को संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नर्सिंग संवर्ग के 'ट्यूटर' पदनाम में परिवर्तित करते हुए ग्रेड पे 5400/- किये जाने पर निम्नांकित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. उक्त पदों आई0एन0सी0 तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप हैं।
2. पदनाम/वेतनमान तथा एस0जी0पी0जी0आई0 से कार्य एवं दायित्वों की समानता के सम्बन्ध में कुलपति/कुलसचिव स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
3. यह पदनाम परिवर्तन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा इस हेतु कोई एरियर देय नही होगा।

3- उक्त पदों पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश अशासकीय संख्या-ई-3-483/दस-2022-23 दिनांक 01-02-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-10/2023/I/269065/2023/71-2099/471/2019, **तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्व्विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।